न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 31/2019
दायर दिनांक :– 14.05.2019

अनवान

सीता देवी बेवा सोजीराम मीणा निवासी ढगारिय तह. जहाजपुर
वादी.....

बनाम

1. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर
2. रतनसिंह पिता श्रीकिशन मीणा नि. जहाज़पुर तह. जहाजपुर
3. प्रभुलाल पिता बालू मीणा नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
4. गोपाल पिता बालू मीणा नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
5. कैलाश पिता बालू मीणा नि. जहाज़पुर तह. जहाजपुर
6. नन्दू बेवा बालू मीणा नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री अखलाक खान, एडवोकेट वादी

:: निर्णय :: दिनांक 27.04.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 4801/3 कुल किता 01 रकबा 01.03 बीघा कृषि भूमि वादी के पति के खातेदारी में दर्ज है। तथा ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 4802 कुल किता 01 रकबा 0.05 बीघा कृषि भूमि वादी के पति के 1/3 एवं प्रतिवादीगण के सहखातेदारी में दर्ज है। वादीया के पति सोजीराम पिता देवीराम मीणा नि. ढगारिया की मृत्यु दिनांक 03.03.2010 को हो चुकी हैं, उक्त वर्णित भूमि वादीया की पैतृक भूमि है जो कि सोजीराम का कोई जायन्दा पुत्र व पुत्री उत्पन्न नही हुए एवं वर्तमान में केवल मात्र वादीया ही सोजीराम की एकमात्र वारिस होकर उक्त भूमि पर अबाध्य रूप से काबिज होकर काश्त करके भूमि को भुगतभोग करती चली आ रही हैं एवं वादीया वाद में वर्णित कृषि भुमि को विरासत से अपने नाम खातेदारी से दर्ज करना चाहती हैं जो कि वादीया ने दिनांक 12.09.2018 को उक्त भूमि को विरासत से अपने नाम खातेदारी से दर्ज कराने बाबत प्रतिवादी सं. 1 तहसीदार जहाजपुर को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी अनुपालना में वादीया के पति सोजीराम के मृत्यु होने से मृतक पति सोजीराम की विरासत की जॉच की गई जिसमे वादीया ही एकमात्र सोजीराम की वारिस होना जाहिर आया। किन्तु फिर भी उक्त भूमि का नामान्तरण वादीया के नाम विरासत से दर्ज नही किया गया। वादीया अपने पति सोजीराम की खातेदारी भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

नामान्तरण विरासत से अपने नाम खुलवाकर उक्त भूमि अपने नाम खातेदारी से दर्ज किये जाने की उदघोषणा कराना चाहता हैं वादीया उक्त भूमि का विरासत से नामान्तरण स्वंय के नाम खोले जाने के लिये दिनांक 12.09.2018 को प्रतिवादी तहसीलदार जहाजपुर को प्रार्थना पत्र पेश किया, किन्तु उक्त भूमि का विरासत से नामान्तरण वादीया के नाम नही खोले जाने से वादीया को दिनांक 12.09.2018 से वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं वाद में सहखातेदारो को सूचनार्थ प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया हैं वादीया ने इनके विरूद्व कोई दाद नहीं चाहती है। उक्त वर्णित भूमि में खातेदार सोजीराम पिता देबीराम मीणा के नाम के स्थान पर वादीया का नाम सीता देवी बेवा सोजीराम मीणा खातेदारी से अंकन किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण पारित कराये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने वाद पत्र की ताईद में खांता सं. 1429 व 1428 की नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की प्रति प्रदर्श 1 है, सरंपच टीटोडी द्वारा जारी सजरा दिनांक 07.09.2018 प्रदर्श 2 हैं, आधार कार्ड की प्रति, तहसीलदार जहाजपुर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की, जो शामिल पत्रावली है। तथा गवाह बयान में सीता देवी मीणा, पी डब्ल्यु 1, सोजीराम मीणा पी डब्ल्यु 2, भैरूलाल गुर्जर पी डब्ल्यु 3 के बयान प्रस्तुत किये गये। जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया की उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी के पति की खातेदारी भूमि है। वादी के पति की मृत्यु हो चुकी है। वादी के कोई जाईन्दा संतान/वारिस नही होकर वादीया ही एकमात्र वारिस है। इसलिये विरासत के अनुसार उक्त कृषि भूमि की एकमात्र वारिस वादीया होने से वादीया को उक्त कृषि भूमि की खातेदार घोषित किया जाना फरमावे।

मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 4801/3 कुल किता 01 रकबा 01–03 बीघा कृषि भूमि वादी के पति के खातेदारी में दर्ज है, तथा आराजी नं. 4802 कुल किता 01 रकबा 0–05 बीघा कृषि भूमि वादी के पति के 1/3 हिस्सा दर्ज है, जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी खाता सं. 1429 व 1428 की नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की प्रति प्रदर्श 1 से होती है। उक्त वर्णित भूमि के खातेदार वादीया के पति की मृत्यु हो चुकी है। जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति से होती है। मृतक सोजीराम के कोई ज़ाईन्दा संतान/वारिस नही होकर वादीया ही एकमांत्र वारिस है, जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत संरपच ग्राम पंचायत टिटोडी के

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

संजरा दिनांक 07.09.2018 प्रदर्श 2 से एवं सोजीराम मीणा, पी डब्ल्यु 2, भैरूलाल गुर्जर पी डब्ल्यु 3 के बयानों से होती है। विरासत के अनुसार उक्त कृषि भूमि की एकमात्र वारिस वादीया होने से वादीया को उक्त कृषि भूमि की खातेदार घोषित किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचन अनुसार न्यायालय वादीया के वाद पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः वादिया का वाद पत्र बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 4801/3 कुल किता 01 रकबा 01.03 बीघा तथा आराजी नं. 4802 कुल किता 01 रकबा 0.05 बीघा भूमि में वादिया के पति सोजीराम पिता देबी का नाम विलोपित किया जाकर उनके हिस्से में वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिकी मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम —जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास — श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

सीता देवी बेवा सोजीराम मीणा निवासी ढगारिया तह. जहाजपुर

वादी.....

बनाम

1. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर
2. रतनसिंह पिता श्रीकिशन मीणा नि. जहाज़पुर तह. जहाजपुर
3. प्रभुलाल पिता बालू मीणा नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
4. गोपाल पिता बालू मीणा नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
5. कैलाश पिता बालू मीणा नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
6. नन्दू बेवा बालू मीणा नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत — 88, 89 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :— 31 /2019

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री अखलाक खान का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादिया का वाद पत्र बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि ग्राम जहाज़पुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 4801/3 कुल किता 01 रकबा 01.03 बीघा तथा आराजी नं. 4802 कुल किता 01 रकबा 0.05 बीघा भूमि में वादियां के पति सोजीराम पिता देबी का नाम विलोपित किया जाकर उनके हिस्से में वादिया को खातेदार कांश्तकार घोषित किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.04.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

c@rider/dikri

Scanned with CamScanner